



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230052
CG-DL-E-29092021-230052

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555]
No. 555]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2021/आश्विन 7, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2021/ASVINA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2021

सं. 45/2021-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 672(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती हों, को, जब भारत में उनका आयात किया गया हो, उन पर उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देती है; अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	30	कोविड 19 वैक्सीन

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी और 31 दिसम्बर, 2021 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/66/2021-टीओ (टीआरयू-1)सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2021

No. 45 /2021–Customs

G.S.R. 672(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) specified in column (2) of the said Table, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule, namely:-

TABLE

S.No.	Chapter, heading, sub-heading or tariff item	Description
(1)	(2)	(3)
1.	30	COVID-19 vaccine

2. This notification shall come into force on 1st October, 2021 and remain in force upto and inclusive of the 31st December, 2021.

[F. No. CBIC-190354/66/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.